बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना – 800015

दूरभाष संः– 0612–2217956
फैक्सः– 0612–2215611/2215978
ई–मेलः– ceo_bihar@eci.gov.in

Press Release

दिनांक :– 04.09.2015

निर्वाचन विभाग के सभागार में आज बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के सफल संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर सभी जिलों के वाहन कोषांग के नोडल पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण–सह–कार्यशाला आयोजित की गयी। इसमें सभी जिलों से वाहन कोषांग के नोडल पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।

उक्त प्रशिक्षण में भारत निर्वाचन आयोग के अद्यतन निदेशों के संबंध में सभी नोडल पदाधिकारियों को विस्तृत जानकारी दी गयी। प्रशिक्षण में वाहनों की आवश्यकता/उपलब्धता का आकलन, वाहनों की अधियाचना, वाहन कोषांग के कार्यो के संबंध में जानकारी देने के साथ–साथ लॉग बुक के प्रकार, लॉग बुक संधारण की प्रक्रिया, वाहनों की सूची को CEO बिहार के वेबसाईट पर अद्यतन करने के संबंध में भी बताया गया। **सभी नोडल पदाधिकारियों को गत लोक सभा आम निर्वाचन से संबंधित वाहन मालिकों के बकाया राशि का शत–प्रतिशत भुगतान एक सप्ताह के अंदर करने तथा आसन्न विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के दौरान अधिग्रहित किये जाने वाले वाहनों की मुआवजा राशि का शत–प्रतिशत भुगतान निर्धारित समय–सीमा के अंदर करने का निदेश दिया गया।**

आज राज्य के मुख्य सचिव द्वारा आसन्न विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के तैयारियों की समीक्षा की गयी जिसमें मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, प्रधान सचिव, गृह विभाग, पुलिस महानिदेशक सहित सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव के साथ–साथ सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। इस बैठक में मुख्य सचिव द्वारा असमाजिक तत्वों के विरूद्ध की जाने वाली निरोधात्मक कार्रवाई, अवैध शराब कारोबारियों के विरूद्ध की जा रही कार्रवाई, अवैध शस्त्र जब्ती, वाहनों की आवश्यकता/उपलब्धता का आकलन से संबंधित बिन्दुओं की जिलावार समीक्षा की गयी तथा जिन जिलों के

द्वारा अब तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गयी उन्हें इसकी नियमित समीक्षा करने तथा इसमें प्रगति लाने का सख्त निदेश दिया गया।

मुख्य सचिव द्वारा राज्य के सभी मतदान केन्द्रों पर न्यूनतम् आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न विभागों/जिलों द्वारा की गयी कार्रवाई की भी समीक्षा की गई तथा उन्हें सभी मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं को न्यूनतम आवश्यक सुविधा यथा रैम्प (निर्धारित स्लोप को ध्यान में रखते हुये), पेयजल, पुरूष तथा महिलाओं के लिए अलग–अलग शौचालय की व्यवस्था, बिजली (वैकल्पिक व्यवस्था के साथ) आदि की उपलब्धता की जिलावार समीक्षा की गई तथा इसे दिनांक 15.09.2015 तक हर हाल में सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया।

****